भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1698

जिसका उत्तर 9 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है।

18 अग्रहायण, 1937 (शक)

राष्ट्रीय एनक्रिप्शन नीति

1698. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
डॉ. उदित राज :
श्री के.अशोक कुमार :
श्री मोहम्मद फैज़ल :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एनक्रिप्शन नीति को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के प्रमुख लक्षण क्या हैं;

(ख) क्या विभिन्न समूहों द्वारा निजता अधिकार उल्लंघन के कारण विरोध हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत हैकरों द्वारा दुरुपयोग से निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पद्धति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में नागरिकों की निजता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उ त्त र

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और एनक्रिप्शन के लिए विहित तरीकों और पद्धतियों के साथ ई-शासन और ई-वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रावधान है। एनक्रिप्शन को सरकार द्वारा डेटा/लेन-देन को सुरक्षित रखने के एक साधन के रूप मान्यता दी गई है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किया गया प्रावधान ऐसे प्रयोजनों के लिए इनक्रिप्शन के उपयोग को समर्थ बनाता है। सरकार नागरिकों के निजता के अधिकार को बनाए रखने का पूरा सम्मान करती है और निजी डेटा के दुरूपयोग की सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करती है। जनता की निजता के अधिकार के उल्लंघन में कोई एनक्रिप्शन नीति का कार्यान्वयन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(ख) : एनक्रिप्शन नीति के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति की मसौदा सिफारिशों को जनता से टिप्पणियां मांगने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) की वेबसाइट पर डाला गया। सरकार ने मसौदा सिफारिशों को जनता की भावनाओं के साथ तुलनात्मक रूप से नोट किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में मसौदा सिफारिशें सरकार का अंतिम दृष्टकोण नहीं है। इसके अलावा, सरकार ने मसौदे के कुछ हिस्सों में अस्पष्टता, जिनके कारण संदेह उत्पन्न हो सकता है, को नोट किया है। अत: नीति की मसौदा सिफारिशों को वापस ले लिया गया। सरकार ने पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श कर एनक्रिप्शन नीति की सिफारिशों में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) : सरकार द्वारा हैकरों द्वारा संवेदनशील सूचना की सुरक्षा या वैयक्तिक सूचना के दुरूपयोग से सुरक्षा करने, आनलाइन लेनदेनों की सुरक्षा और उनके अधिप्रमाणन तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों और नेटवर्क की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक टूल के रूप में मान्यता दी गई है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में ऐसे प्रयोजनों के लिए किए गए प्रावधान एनक्रिप्शन के इस्तेमाल को समर्थ बनाता है।

(घ) : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43, धारा 43क, धारा 66, धारा 66ख, धारा 66ग, धारा 66घ तथा धारा 72क में डिजिटल रूप से डाटा की निजता और सुरक्षा के लिए व्यापक कानूनी ढांचे का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 43, धारा 43क में क्रमश: सूचना के अनधिकृत अभिगम और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन के मामले में पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है। धारा 43क में यह भी अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा या सूचना एकत्रित करने वाले निगमित निकाय व्यक्तिगत सूचना का संचालन या कार्रवाई करने के लिए निजता नीति का प्रावधान करेंगे जिसमें उनकी वेबसाइटों पर संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना शामिल है। उनसे यह भी अपेक्षा है कि वे सूचना की सुरक्षा के लिए यथोचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं भी कार्यान्वित करेंगे।

******